



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोन नं./Phone No. : 26561153, 26858570,
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110230(विविध)डीआर/2024/केविसं(मु)/पें / ५४०४

दिनांक: 15.04.2025

1. प्रबंधक (संस्था),
भारतीय स्टेट बैंक,
मुख्य शाखा (चौथी मंज़िल)
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

2. प्रबन्धक,
इंडियन बैंक,
सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर,
T- नगर बिल्डिंग, द्वितीय तल,
नं० 7 प्रकसम सलाई, T- नगर,
चेन्नई- 600017.

विषय:- सातवे वेतन आयोग के अनुपालन में 01.01.2025 से परिशोधित महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए दरों के पुनर्निरीक्षण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या F.42/02/2024-P&PW (D) दिनांक 11 अप्रैल, 2024 द्वारा महंगाई राहत को दिनांक 01.01.2025 से 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 जनवरी 2025 से सभी बकाया राशि के साथ पेंशन/पारिवारिक पेंशन जारी करें।

भवदीय

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त (ई.डी.पी.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली - यह पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में "घोषणा" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
2. सहायक आयुक्त (वित्त) बजट, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली - सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त (वित्त)